दावा अन्तर्गत धारा 88, 49 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :–......08/05/2026

वादीगण की ओर से श्री ध्रुव गोदारा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री मुकेश कुमार अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 49 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा किया जाता है:–

क. वादीगण को ब.हि.ब. प्राप्त कृषि भूमि–

चक	प.न.	किला	तादादी
4 यू.एम.डब्ल्यू.	25/204	2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23	2.530 हैक.
	25/205	2/1, 2/2, 3/1, 3/2	0.506
5 यू. एम. डब्ल्यू	25/209	2/1, 3, 4/1, 7/1, 8 9/1, 12/1, 13, 14/1	1.265

ख. प्रतिवादी सं. 2 को प्राप्त कृषि भूमि–

चक	प.न.	किला	तादादी
4 यू.एम.डब्ल्यू.	25/204	4, 7, 14, 17, 24	1.265 हैक.
	25/205	22	0.253 हैक.
		कुल	1.518 हैक्

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 08/05/2006 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

([illegible] आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
पीलीबंगा (हनुमानगढ़)
सत्यमेव जयते